

# फर्द अहकाम

गुलाबचन्द व अन्य


बनाम

राजस्थान सरकार

ना पत्र:

513/2-

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.06.2025	<p>वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू.अभि.नि. क्षेत्र बगरुकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 425 के खसरा नम्बर 1571, 1618, 735, 744, 743, 742, का सीमाज्ञान उपतहसीलदार बगरु के आदेश क्रमांक: /एल0आर0 /2025/1097-1098 दिनांक 03.06.2025 की पालना में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष ग्राम रामपुराऊंती के ख0सं0 1523 किश्म गै.मु.चाह, ख0सं0 1586 किश्म गै.मु.चाह से जरीब चलाकर ख0नं0 735 का द0प0 कोना कायम किया जिसका मिलान 637 किश्म गै0मु0चाह से किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान सीमांकन कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 09.06.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम रामपुराऊंती, पटवार हल्का रामपुराऊंती, भू.अभि.नि. क्षेत्र बगरुकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 425 के खसरा नम्बर 1571, 1618, 735, 744, 743, 742 का सीमाज्ञान फर्द मौका--रिपोर्ट आदेश दिनांक 09.06.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)